


तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
9.4.2021	पत्रावली आज पेश हुई। साबिक आदेश की पालना अनुसार पत्रावली दिनांक 30/04/2021 की पेश की। A जिला कलेक्टर, पाली	
30/4/21	पत्रावली आज पेश हुई। साबिक आदेश दि 5/3/21 की पालना की आकर पत्रावली दिनांक 21/5/21 को पेश की। A जिला कलेक्टर, पाली	737 515121
21-5-21	पत्रावली आज पेश हुई। अपीलाती को अपने स्पेस के रजिस्ट्रार से उपरोक्त हेतु को कोर्टी जारी किया कि गार्ड डिवीज की रूप में समस्त आकर पत्रावली दिनांक 18/6/21 को पेश की। A जिला कलेक्टर, पाली	
18/6/21	पत्रावली आज पेश हुई। पूर्व में साबिक आदेश की पालना के दौरान Lock down period में जारी किया गया का मुहर जारी Regd. Ad निजकाम आकर पत्रावली दिनांक 16/7/21 को पेश की। A जिला कलेक्टर, पाली	926 21/6/21
16/7/21	पत्रावली आज पेश हुई। अपीलांत द्वारा हस्तगत अपील सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के तहत लौ. सू. अ. (उपरोक्त अधिकारी) रायपुर के विरुद्ध पेश की गई है। इस न्यायालय द्वारा रैस्पोंडेंट को अपीलांत द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा जाने पर उन्होंने अपने पत्रांक/आर.टी.आई./2021/99 दिनांक 12/2/21 के जरिये अवगत कराया कि अपीलांत द्वारा वांछित सूचना उके पत्रांक/आर.टी.आई./2020/1613 दिनांक 31/11/2020 के जरिये उपलब्ध करवा दी गई है। इस सम्बन्ध में अपीलांत को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस क्र. 751 दि. 515121 व 926 दिनांक 21/6/21 जरिये शि. ज. द्वारा भिजवाया गया। बावजूद कि वार नोटिस जरिये शि. ज. द्वारा भिजवाने पर भी अपीलांत के इस न्यायालय	

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

में अनुपस्थित रहने से यह माना जाता है कि अपीलान्त
द्वारा वांछित सूचना उन्हें प्राप्त हो चुकी है अतः
हस्तगत प्रकरण में इस स्तर पर अन्य कोई कार्यवाही
शेष नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलान्त इसी
स्तर पर खारिज की जाती है।
प्रतावली इस न्यायालय से शुमार फैसल लेकर
नम्बर से काम हो।

^A
जिजा कलेक्टर, वाली